न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार
<u>कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)</u>
सू.का.अधि. अपील प्र.क्र.48/2017–18

श्री एल के पटेल C/O श्री संतोष टोप्पो चर्च के बगल में कश्मीरीगली वार्ड कमांक 5 पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) .... अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ....उत्तरवादी

आदेश
(आज दिनांक 11.06.2018 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी श्री एल के पटेल C/O श्री संतोष टोप्पो चर्च के बगल में कश्मीरीगली वार्ड कमांक 5 पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रारंभ किया गया।

अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा के समक्ष डाक के माध्यम से दिनांक 27.2.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत डभरा तहसील के गॉव छवारीपाली एवं तुलसीडीह में मिट्टी और कोयले के प्रयोग से ईट बनाने हेतु अनुमति/लाइसेंस की आवश्यकता के संबंध में स्पष्ट एवं विस्तृत जानकारी मांग किया गया है नहीं दिये जाने पर इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत अपील आवेदन के संबंध में जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को ज्ञापन क्रमांक 7209/अपील/सू.का.अ./2018/जांजगीर, दिनांक 05.05.2018 को पत्र प्रेषित कर जानकारी/जबाव मांगी गई एवं अपीलार्थी को पृष्ठांकन पत्र क्रमांक 7210/अपील/सू.का.अ./2018 जांजगीर, दिनांक 05.05.2018 द्वारा सुनवाई तिथि 24.05.2018 को उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा के समक्ष डाक के माध्यम से दिनांक 27.2.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत डभरा तहसील के गॉव छवारीपाली एवं तुलसीडीह में मिट्टी और कोयले के प्रयोग से ईट बनाने हेतु अनुमति/लाइसेंस की आवश्यकता के संबंध में स्पष्ट एवं विस्तृत जानकारी मांग किया गया है नहीं दिये जाने पर इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया है।

जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा को पत्र लिखे जाने के बाद भी जानकारी/जवाब पेश नहीं किया गया औन न ही जन सूचना अधिकारी की ओर से कोई उपस्थित हुआ। अस्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन स्वीकार करते हुऐ जन सूचना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जॉजगीर जिला जांजगीर–चांपा को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी 15 दिवस के भीतर निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे।

(डी.के.सिंह)
अपर कलेक्टर
एवं अपीलीय अधिकारी
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

अपीलीय अधिकारी
एवं अपर कलेक्टर
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा, छ.ग.

पृ.क्र./ 9483 /अपील/सू.का.अधि/2018 जांजगीर, दिनांक 18/06/2018

प्रतिलिपि :–

1. जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र एनआईसी जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा की ओर आदेश की प्रति अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।
3. श्री एल के पटेल C/O श्री संतोष टोप्पो चर्च के बगल में कश्मीरीगली वार्ड कमांक 5 पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

(डी.के.सिंह)
अपर कलेक्टर
एवं अपीलीय अधिकारी
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)